UPEW010064332025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी०ए०)एक्ट, इटावा।

पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार–IV ,उच्चतर न्यायिक सेवा।

JO Code UP 6462

अंतिम रिपोर्ट संख्या –789/2025

नेकराम कोरी बनाम आशू ।

मु०अ०संख्या–91/2025
धारा–115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस.
व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)va एससी
/एसटी (पी०ए०) एक्ट।
थाना ऊसराहार,जिला इटावा।

दिनांक 30.06.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी।

पुकार पर वादी अनुपस्थित है। वादी पर दिनांक 06.01.2026 को तामील पर्याप्त मानी जा चुकी है तथा दिनांक 28.04.2026 को वादी को अभ्यापत्ति याचिका प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था परन्तु वादी की ओर से कोई अभ्यापत्ति याचिका दाखिल नहीं की गयी है। आज कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र 5 क के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 91/2025, धारा–115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)va एससी/एसटी (पी०ए०) एक्ट, थाना ऊसराहार ,जिला इटावा में पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियोग उपरोक्त की घटना का होना न पाये जाने अंतिम रिपोर्ट संख्या 16/2025 दिनांकित 10.06.2025 प्रस्तुत की गयी है।

चूंकि वादी पर दिनांक 06.01.2026 को तामील पर्याप्त मानी जा चुकी है तथा उसे अभ्यापत्ति याचिका दाखिल करने हेतु अवसर भी दिये गये, परन्तु वादी की ओर से उपस्थित आकर उपरोक्त अन्तिम आख्या के विरुद्ध कोई भी

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.30 15:40:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभ्याप्ति याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी है। आज भी कोई उपस्थित नहीं है। पूर्व तिथियों पर भी वादी अनुपस्थित रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अपना वाद चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों दृष्टिगत रखते हुये विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत की गयी अन्तिम आख्या संख्या 16/2025 (न्यायालय का नम्बर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 789/2027) स्वीकार की जाती है।

पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दि. 30.06.2026

(संजय कुमार–IV)

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी०ए०)एक्ट,

इटावा।

JO Code UP 6462